प्रदेश के 1500 ग्राम उत्थान शिविरों में 72 लाख काम किये गए- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने लाडनूं में आमजन से इन शिविरों में जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की

डीडवाना-कुचामन/जयपुर, 6 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार गांवों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में लगाए जा रहे ग्राम उत्थान शिविर सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इन शिविरों में जाकर सरकारी योजनाओं

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिविरों में अब तक 28 हजार सॉइल हैल्थ कार्ड तथा 55 हजार स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को लाडनूं में ग्राम उत्थान शिविर एवं जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए।

की पूरी जानकारी लें और उनका भरपूर लाभ उठाएं।

शर्मा ने शुक्रवार को लाडनूं में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर एवं जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का किसान, गरीब, पशुपालक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की है, जिससे ग्रामीणों को घर के नजदीक ही राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 1500 से ज्यादा ग्राम उत्थान शिविर लगाकर 77 लाख से अधिक काम किए गए हैं। आमजन को 98 हजार से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड तथा 55 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं।

शर्मा ने कार्यक्रम में डीडवाना-कुचामन जिले को करीब 529 करोड़ रुपये राशि के 71 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े 465 करोड़ रुपये से अधिक राशि के 59 कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही, लगभग 64 करोड़ रुपये की राशि के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

इससे पहले, शर्मा ने परिसर में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन किया एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए।

विपक्ष के हंगामे के कारण शुक्रवार को दिन भर लोकसभा बाधित रही

नई दिल्ली, 06 फरवरी। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के चलते शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही अब सोमवार, 9 फरवरी को सुबह 11 बजे पुनः शुरू होगी।

सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और हाथों में प्लेकार्ड लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बजट सत्र में अब तक सदन के 19 घंटे 13 मिनट हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा कर सदन की मर्यादा समाप्त की जाती है, तो ऐसे सदन को चलाना संभव नहीं है। अध्यक्ष के बार-बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर में कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भी विपक्ष का शोर-शराबा जारी रहा। पीठासीन सदस्य कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने बताया कि स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी है।

दो माह में चौथी बार अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली

जोधपुर-जयपुर हाई कोर्ट व अजमेर जिला कोर्ट को पुलिस ने खाली कराकर गहन जाँच की

- **तीनों स्थानों पर कोर्ट की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर धमकी भरे मेल प्राप्त हुए थे। पुलिस को जाँच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ई-मेल का सोर्स प्राप्त करने में जुटी हुई है।**

जयपुर, 6 फरवरी। राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट सहित, जोधपुर और अजमेर कोर्ट को शुक्रवार की सुबह बम से उडाने की धमकी मिलने से हडकंप मच गया। तीनों स्थानों पर कोर्ट की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। पुलिस ने एहतियातन कोर्ट परिसरों को खाली कराकर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जयपुर हाईकोर्ट में करीब एक घंटे तक न्यायिक कार्य स्थगित रहा।

जयपुर हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोर्ट की ऑफिशियल मेल पर हाईकोर्ट को बम से उडाने की धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की। सुरक्षा कारणों से एक घंटे तक सुनवाई टाल दी गई। जांच के बाद, कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

जोधपुर हाईकोर्ट की ऑफिशियल मेल पर भी शुक्रवार सुबह धमकी मिली। रजिस्ट्रार प्रशासन ने तत्काल आला अधिकारियों को सूचना दी। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर प्रशासन हरकत में आया और झालामंड स्थित नए हाईकोर्ट परिसर सहित दोनों परिसरों को कुछ ही मिनटों में खाली करा लिया गया।

एडीसीपी नीरज शर्मा ने बताया कि बम की सूचना के बाद पूरे परिसर की गहन जांच की गई। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि यह सिक्योरिटी से जुड़ा कम्युनिकेशन था। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर को लेकर यह पहली बार धमकी मिली है, जबकि जोधपुर कलेक्ट्रेट को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ई-मेल के स्रोत की जांच में जुटी है।

अजमेर में संभागीय आयुक्त को मेल के जरिए कोर्ट परिसर में 13 आरडीएक्स लगाए जाने की सूचना दी गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम ने तुरंत कोर्ट परिसर खाली कराकर सघन तलाशी ली। लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

एसपी वंदिता राणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट को भी चार बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है।

इस्लामाबाद की मस्जिद में सुसाइड बम ब्लास्ट में 31 की मौत

पाकिस्तान की राजधानी में जुमे की नमाज के दौरान हुए हमले में 169 घायल हुए

- **शिया मस्जिद में धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई। मस्जिद के आस-पास के इलाके को पुलिस व फोर्सेज़ ने घेर लिया।**

इस्लामाबाद, 06 फरवरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद (इमामबाड़ा) में आत्मघाती हमला हुआ। पाकिस्तानी अखबार "द डॉन" के मुताबिक, हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है और 169 घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

मस्जिद में धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। शिया मस्जिद के आसपास के इलाके को पुलिस और फोर्सेस ने घेर लिया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी आतंकी संगठन या व्यक्ति ने धमाके की जिम्मेदारी ली है।

एचटीएन वर्ल्ड न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स ने मस्जिद के गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया। इस्लामाबाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पीआईएमएस) और सीडीए हॉस्पिटल ले जाया गया है।

पीआईएमएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ईडी) के निर्देश पर, अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, एक प्रवक्ता ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुख्य इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया गया है।

इंदौर में दूषित पानी से 33 वीं मौत

इंदौर, 6 फरवरी। मध्यप्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के चलते एक और मरीज की मौत हो गई है। इस हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 33 हो चुकी है। ताजा मामले में पत्नी की मौत के बाद अब पति की भी जान चली गई है। भागीरथपुरा निवासी अलगूराम यादव (70) की गुरुवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें 9 जनवरी को अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। इससे पहले उनकी पत्नी उर्मिला यादव की भी दूषित पानी से बीमार होने के बाद मौत हो चुकी है। मृतक के बेटे संजय यादव का कहना है कि उनके पिता को पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उल्टी-दस्त के कारण हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

देश के लिए पदक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद भी आबकारी विभाग इस खिलाड़ी की नियुक्ति के आदेश को दबाए बैठा रहा। करीब 2 माह के इंतजार के बाद 3 जनवरी 2025 विशेष योग्यजन आयुक्त ने आबकारी विभाग को अवमानना नोटिस थमाया, लेकिन फिर भी विभाग के अधिकारी नहीं जागे।

याचिकाकर्ता निहाल सिंह की ओर से अदालत में बताया गया कि, राजस्थान सरकार ने पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और देवेन्द्र झांझड़िया को भी इस नियम-नीति के तहत "असिस्टेंट कन्जर्वेटर फॉरेस्ट" के पद पर नियुक्तियां दी है। परंतु निहाल सिंह के साथ भेदभाव किया जा रहा है। याचिकाकर्ता निहाल सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग रखी है कि, उन्हें नियुक्ति दी जाए। साथ ही अक्टूबर 2023 से नियमित मानते हुए अब तक वेतन और इस प्रकरण में अदालती कार्रवाई के दौरान खर्च होने वाली रकम का भुगतान करवाया जाए। निहाल सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि, "असिस्टेंट एक्साइज़ ऑफिसर" का पद सुपरवाईजर स्तर का होता है, जो कि फील्ड में दौड-भाग का नहीं है। उसके अधीनस्थ कार्मिक ही फील्ड मॉनिटरिंग का कार्य देखते है।

इस प्रकरण में वर्ष 2025 से अब तक राजस्थान हाईकोर्ट में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है। गत 19 नवंबर 2025 को अदालत ने सुनवाई में यह टिप्पणी की थी कि, अभी तक राज्य सरकार ने इतनी सुनवाई के बावजूद कोई जवाब अथवा तथ्य रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया है। इसलिए आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव अगली सुनवाई पर पेश हों। इसके बाद 26 नवंबर की सुनवाई में अधिकारी पेश हुए और जवाब के लिए समय मांगा। इसके बाद 17 दिसंबर 2025 को सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि खेल विभाग ने यह प्रकरण मुख्य सचिव के पास भेजा हुआ है। इस मामले में एक कमेटी बनाई जाकर 1 सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि डेढ़ माह के बाद भी अब तक मामला अधरझूल में है।

संसद में कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे हैं, वहीं पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि इन प्रभावी विरोध प्रदर्शनों के पीछे असली दिमाग और ताकत प्रियंका गांधी ही हैं। पहली बार कांग्रेस का विरोध वास्तव में असरदार नजर आया।

इस घटनाक्रम से राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं में असहजता भी पैदा हुई है, जो अब तक संसद में पार्टी का प्रबंधन संभालते रहे थे।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा हर साल मीडिया और विभिन्न नेताओं के लिए एक लंच का आयोजन करते हैं। इस बार पहली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इस लंच में शामिल हुए और आकर्षण का केन्द्र बन गए। मीडिया और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें लगभग घेर लिया।

गपशप से लेकर गोलगप्पों, टिक्कियों और मिठाइयों तक, भाई-बहन की इस जोड़ी ने कई व्यंजनों का स्वाद लिया। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में आने और वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए मनाने में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गांधी परिवार की मौजूदगी ने हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा परिवार की श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया।

प्रियंका गांधी लंबे समय से औपचारिक रूप से किसी स्पष्ट भूमिका में नहीं थीं। अब लोकसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन को संभालने के बाद, वे संगठन में कहीं बड़ी भूमिका की ओर देख रही हैं।

एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, यह पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल नहीं पाए, और यह पहली बार हुआ है।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए राष्ट्रीय छात्र संगठनों के साथ गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है।

कई छात्र संगठनों ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर हमला भी किया गया था।

हालांकि, बाद में बांग्लादेश में इस छात्र आंदोलन की अगुवाई इस्लामी संगठनों ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की और जल्द ही बांग्लादेशी सेना की मदद से छात्रों को हाशिये पर डाल दिया गया।

इसके बाद अंतरिम प्रशासन के तहत एक नई सरकार ने काम संभाला, लेकिन उसकी पकड़ राजधानी तक ही सीमित रही। जब से शेख हसीना के देश छोड़ने से सत्ता का खालीपन पैदा हुआ है, बांग्लादेश लगातार हिंसा और कानून -व्यवस्था के टूटने के दौर से गुजर रहा है।

एसओजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में गीतेश जादौन निवासी खैरिया पुरोहित डीग ने खुद परीक्षा न देकर, नीरज कुमार निवासी बहज डीग को डमी कैंडिडेट के रूप में बैठाया था। इस धोखाधड़ी के संबंध में एसओजी में 21 अक्टूबर 2024 को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी निरीक्षक सीमा पठान ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी नीरज कुमार और मूल अभ्यर्थी गीतेश जादौन को गिरफ्तार किया। एसओजी ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 9 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।

असम के मु.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरमा के सार्वजनिक बयानों की एक श्रृंखला की ओर दिलाया, जो "प्रथम दृष्टया घृणास्पद भाषण, कार्यपालिका के भय और एक विशेष समुदाय की झूठी निन्दा एवं खुली बदनामी" के दायरे में आते हैं। यह संदर्भ मुख्यमंत्री की 'मियां' (बंगाली भाषी मुस्लिम) समुदाय के खिलाफ टिप्पणियों से जुड़ा है।

पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि वे इस समय चल रहे निर्वाचन सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, बंगाली भाषी मुसलमानों को निशाना बनाकर आपत्तियां दर्ज करायें।

पत्र में कहा गया है, "संविधान द्वारा अनिवार्य और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया जैसे विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को मुख्यमंत्री के इशारे पर पक्षपातपूर्ण या सांप्रदायिक अभियान में नहीं बदला जा सकता," और यह भी उल्लेख किया गया कि चुनाव आयोग ने अब तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है।

पत्र में अंत में कहा गया, "इस तरह के खुले संवैधानिक उल्लंघनों के सामने चुप्पी या निष्क्रियता उन्हें सामान्य बना देने और स्वयं संविधान की नैतिक प्रामाणिकता को कमजोर करने का जोखिम पैदा करती है।

प्रशांत किशोर की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया- सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने चुनाव हारने के बाद राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का सहारा लेने पर पार्टी को फटकार लगाई। प्रशांत किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 में से 242 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। अदालत ने कहा, "आपको कितने वोट मिले? जब जनता आपको नकार देती है, तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं! किसी को तब इस योजना को ही चुनौती देनी चाहिए थी। हमारे सामने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। आप सिर्फ चुनाव को शून्य घोषित करवाना चाहते हैं।" अदालत ने कहा कि इस मामले के निर्णय के लिये उच्च न्यायालय उपयुक्त मंच है। अदालत ने कहा, "चूंकि यह मामला केवल एक राज्य से संबंधित है, इसलिए आप उसी राज्य के उच्च न्यायालय में जाएं। कुछ मामलों में मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज़) का गंभीर मुद्दा होता है, उसकी हम गंभीरता से जांच करेंगे।' न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हम मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर विचार करेंगे, लेकिन हमें याचिकाकर्ता की मंशा भी देखनी होगी। हम किसी ऐसी पार्टी के कहने पर इस पर विचार नहीं कर सकते, जो अभी-अभी चुनाव हारी हो। जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी वही काम करेंगे। आखिरकार, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

'कोई अदालत महिला को गर्भावस्था जारी रखने के लिये बाध्य नहीं कर सकती'

नई दिल्ली, 06 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत किसी महिला को, खासकर नाबालिग को, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह टिप्पणी उस मामले में आई है,

- **सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की अनुमति देते हुए यह स्पष्ट किया।**

जिसमें शीर्ष अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दी। जानकारी के अनुसार, जब लड़की 17 साल की थी, तब वह एक संबंध के दौरान गर्भवती हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह गर्भावस्था अवैध प्रतीत हो सकती है, क्योंकि उस समय लड़की नाबालिग थी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि संबंध उसकी मर्जी से था या यह यौन शोषण का मामला था। अदालत ने कहा कि सबसे अहम पहलू यह है कि लड़की खुद इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। प्रजनन से जुड़े मामलों में महिला का निर्णय सर्वोच्च महत्व रखता है और उसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह फैसला लेना आसान नहीं था।

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए

रायपु, 06 फरवरी। छत्तीसगढ़ - महाराष्ट्र बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह से नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस नक्सल ऑपरेशन में अब तक 7 नक्सली ढे र हुए हैं। ?

वहीं एक जवान के वीरगति प्राप्त होने की खबर है। दूसरी ओर, एक जवान

- **एजेंसियों के ऑपरेशन में एक जवान ने भी वीर गति पाई।**

को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। मुठभेड़ स्थल से एके-47 और एक इंसास राइफल बरामद हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिकतौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है।

पेपर लीक से चयनित हुआ एईएन गिरफ्तार

जयपुर, 6 फरवरी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने, कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 (पुनः परीक्षा 2021) के पेपर लीक मामले में एक सहायक अभियन्ता (एईएन) को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पेपर माफियाओं से सांठगांठ कर परीक्षा से पहले ही पेपर हासिल कर लिया था और वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में कार्यरत था।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 (दिसंबर 2020) का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 12 सितंबर

- **पेपर लीक की मदद से सुरेश कुमार कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर चयनित हुआ और प्रमोट होकर एईएन बन गया।**

2021 को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। जांच में सामने आया कि दोबारा आयोजित परीक्षा का पेपर भी माफियाओं के पास पहले ही पहुंच गया था। इस संबंध में 19 जनवरी 2026 को एसओजी थाने में नया मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान में यह तथ्य उजागर हुआ कि कुख्यात पेपर माफिया भूपेन्द्र सारण ने आरोपी सुरेश कुमार को परीक्षा से कुछ समय पूर्व ही लीक सॉल्व्ड पेपर मुहैया कराया था। इसी पेपर की मदद से सुरेश कुमार ने परीक्षा पास की और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर चयनित हो गया। चयन के बाद वह प्रमोट होकर सहायक अभियन्ता (एईएन) भी बन गया था। एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।

एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि 12 सितंबर 2021 को जेईएन परीक्षा का पेपर लीक करने के ठीक बाद, 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई उप निरीक्षक (एसआई) पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी इसी गिरोह ने लीक किया था। एसओजी अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने पेपर के लिए कितनी राशि का भुगतान किया और इस गिरोह में कौन से सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

भारत और अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हटाने का लक्ष्य अभी भी वास्तविकता से ज्यादा एक उम्मीद बना हुआ है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझौता प्रशासनिक है, किसी संधि पर आधारित नहीं है। कई अहम टैरिफ और गैर-टैरिफ शर्तों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ, व्यापार नीति के साथ-साथ घरेलू राजनीति के साधन के रूप में भी काम करते हैं। निर्यातकों के लिए सबसे जरूरी चीज, नीतियों की स्थिरता, अब भी नाज़ुक बनी हुई है।

टैरिफ में राहत से भारत की आंतरिक समस्याएं भी खत्म नहीं होतीं। ऊँची लॉजिस्टिक लागत, नियामक टकराव (रैगुलेटरी फ्रिक्शन) और उत्पादन क्षमता की सीमाएं अब भी निर्यातकों को परेशान करती हैं, खासकर टेक्सटाइल और परिधान जैसे श्रम-आधारित क्षेत्रों में। वियतनाम और बांग्लादेश अभी भी तेजी से काम पूरा करने और अमेरिकी खरीददार नेटवर्क में बेहतर जुड़ाव (इंटिग्रेशन) देते हैं। घरेलू सुधारों के बिना, टैरिफ समानता से लगातार मार्केट शेयर में बढ़ोतरी नहीं होगी।

पारस्परिक लाभ की शर्त भी सामने आएगी। व्यापार समझौते आमतौर पर बिना कीमत के नहीं होते। डिजिटल व्यापार, डेटा लोकलाइजेशन, कृषि बाजार तक पहुंच और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर दबाव फिर से सामने आ सकता है, जो भारत की नीतिगत स्वतंत्रता पर जोर देने की बात की परीक्षा लेगा।

फिर भी, भू-राजनीतिक रूप से दिशा साफ है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ समझौतों के साथ यह रीसेट संकेत देता है कि भारत ने पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था में खुद को और मजबूती से स्थापित करने का फैसला किया है, जबकि रूस और चीन के साथ रणनीतिक विकल्प बनाए रखने की बात भी करता है। यह पश्चिम का पीछे हटना नहीं था, यह भारत द्वारा सावधानी से, शर्तों के साथ और अपनी शर्तों पर तालमेल चुनना था।

टैरिफ रीसेट एक पुल है, मंजिल नहीं। यह भारत को कितनी दूर तक ले जाएगा, यह कूटनीति पर कम और अस्थिर वैश्विक व्यापार व्यवस्था में कार्यान्वयन (एग्ज़ीक्यूशन), सुधार और लचीलेपन पर ज्यादा निर्भर करेगा।

रैपिड रेल के लिए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूप से 2036 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के अन्य राज्यों से भी रैपिड रेल लाइनों के निर्माण की मांगें सामने आ रही हैं।

नैशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी), जो आरआरटीएस की कार्यान्वयन एजेंसी है, के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने राष्ट्रदूत से कहा कि भविष्य के आरआरटीएस कॉरिडोरों की निर्माण लागत लगभग 10 प्रतिशत कम हो सकती है, हालांकि अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटा बरकरार रहेगी। कुछ हिस्सों में ट्रेनें इससे भी अधिक गति हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि लागत में कमी दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के निर्माण से मिले अनुभवों के आधार पर संभव होगी। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली-मेरठ लाइन पर इस्तेमाल की गई 6.5 मीटर चौड़ी टनल बोरिंग मशीनों के बजाय, अन्य कॉरिडोरों में 5.8 मीटर चौड़ाई वाली टीबीएम का उपयोग किया जा सकता है। गोयल ने कहा, "अन्य वैल्यू इंजीनियरिंग रणनीतियां भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे वायाडक्ट की चौड़ाई कम करना और स्टेशनों पर प्रवेश/निकास बिंदुओं की संख्या घटाना।"

पिछले सप्ताह संसद में प्रस्तुत वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2,900 किमी संभावित आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से अधिकांश दक्षिण भारत में हैं। इनमें बेंगलुरु-मैसूर-तुमकुर-होसुर, चेन्नई-वेल्लोर-विल्लुपुरम-चेंगपट्टु और हैदराबाद-वारंगल जैसी लाइनें शामिल हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है, इन परियोजनाओं का उद्देश्य कॉरिडोर के साथ उच्च-घनत्व, मिश्रित-उपयोग विकास और रोजगार के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे महानगरीय केन्द्रों पर दबाव कम होगा और बहु-केन्द्रित क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलेगा।

2025 के अंत में पूरे 82 किमी खंड पर परीक्षण रन सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर को प्रमाणित किए जाने के बावजूद, इस लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल टलता नजर आ रहा है। वर्तमान में दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 55 किमी खंड पर व्यावसायिक परिचालन किया जा रहा है। राज्यमंत्री तोखन साहू ने गुरूवार को लोकसभा में कहा कि, "पूरे खंड पर परिचालन शुरू होने के बाद, इस कॉरिडोर से प्रतिदिन लगभग 1,67,000 यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है।" एनसीआरटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, "लाइन का उद्घाटन शीघ्र होने की उम्मीद है, हालांकि तारीख अभी तय नहीं की गई है।"

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600